

(भोगादीत)

FORM NO III  
फर्द अहकाम

32

15/3/18  
13/4/18

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. नाथू पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी बींजरवाड़ा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0  
वादीगण

बनाम

1. लाडा पत्नि स्व0 श्री मूला जाति जाट निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा - 91, 92ए रा0का0अधि0

नंबर 55 / 2018

ऑन लाईन नंबर 2018 / 00055

वकील वादीगण श्री भवानी सिंह

वकील प्रतिवादीगण .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
26.02.2018	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री भवानी सिंह ने अन्तर्गत धारा 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 15.03.2018 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
13.4.18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप दस्तावेजात्/पत्रावली/पत्रावली वास्तो तलबी दिनांक 13.4.18 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	प्रतिवादी नं. 1, 2 6 की तामे के Understand [Signature]

15/3/18  
पत्रावली पेश हुई वकील  
दस्तावेजात्/पत्रावली/पत्रावली  
वास्तो तलबी

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रतिवादी नं. 1, 2  
6 की तामे के  
Understand  
[Signature]

18/7/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।  
P.O. सख्त बुलावार्थी/परी/अवकाश  
पर पत्रावली पेश करने के लिए  
दिनांक 11/8/15 को पेश हो।

11/8/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।  
पत्रावली दिनांक 11/8/15 को पेश हो।  
W.D.  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई

22/8/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।  
P.O. सख्त बुलावार्थी/परी/अवकाश  
पर पत्रावली पेश करने के लिए  
दिनांक 26/9/15 को पेश हो।

26/9/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।  
पत्रावली दिनांक 26/9/15 को पेश हो।  
W.D.  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई

14/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।  
पत्रावली दिनांक 14/11/15 को पेश हो।  
W.D.  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई

19/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित।  
पत्रावली दिनांक 19/11/15 को पेश हो।  
W.D.  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई